20.09.2017

श्री पी.एन.भटेले अधिवक्ता द्वारा आरोपी शिवदयाल जाटव सहित उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई पत्र के साथ आवेदन पत्र धारा 44(2) जा.फो पेश किया। आवेदन पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आरोपी शिवदयाल जाटव के विरूद्ध परिवादी कंपनी द्वारा यह परिवाद धारा 135 विद्युत उर्जा चोरी राशि 41108 रुपए की वसूली वाबत पेश किया है। जिसमें आरोपी की आवश्यकता है। विचार उपरांत आवेदन स्वीकार कर। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

आरोपी की ओर से श्री भटेले अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गन धारा 439 जा.फो. पेश किया। नकल परिवादी अधिवक्ता को दी गयी।

उभयपक्ष को आवदेन पर सुना गया। आरोपी की ओर से आवेदन में निवेदन किया है कि परिवादी कंपनी द्वारा झूठा अपराध पेश किया है तथा आज उसे जानकारी होने पर वह स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ है। उसे जमानत पर छोड़ा जावे। प्रकरण का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप तथा प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है तथा आरोपी स्वयं उपस्थित हुआ है। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आरोपी प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहे और उसकी ओर से 15000 रुपए की सक्षम जमानत एवं समान राशि का मुचलका पेश होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक 09.11.17 को पेश हो।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत विशेष न्यायाधीश विद्युत

पुनश्य:

आदेश के पालन में 15000 रुपए की जमानत एवं समान राशि का मुचलका पेश किया गया। जमानतदार श्रीमती सुनीता पत्नि शिवदयाल जाटव निवासी ग्राम रामपुरा (रतवा) द्वारा जमानत पेश की। जमानतदार की पहचान अधिवक्ता श्री पी.एन.भटेले द्वारा की गयी। जमानत बाद जांच तश्दीक कर स्वीकार की जाती है। आरोपी को समक्ष में जमानत पर छोड़ा जाता है।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक 09.10.17 को पेश हो।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत विशेष न्यायाधीश विद्युत